

रतलाम शहर का सम्पूर्ण विकास ही हमारा लक्ष्य — विधायक काश्यप 'प्रगति के पथ पर मेरा रतलाम' विषय पर परिचर्चा आयोजित

रतलाम 17 फरवरी । रतलाम स्थापना महोत्सव समिति द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार को 'प्रगति के पथ पर मेरा रतलाम' विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता नगर विधायक ने कहा रतलाम शहर और नागरिकों का समुचित विकास ही हमारा लक्ष्य है। आने वाले कुछ सालों में रतलाम नगर महानगर की श्रेणी में खड़ा होगा।

माननीय श्री काश्यप ने प्रगति के पथ पर प्रकाश डालते हुए झुग्गी मुक्त रतलाम, गोल्ड कॉम्प्लेक्स और रिडेंसिफिकेशन योजना के तहत होने वाले कार्यों, 8 लेन एक्सप्रेस वे पर विशेष निवेश क्षेत्र की स्वीकृति, मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की घोषणा, साड़ी कॉम्प्लेक्स की योजना, नमकीन कलस्टर के विस्तार और जीआई टेकिंग से प्रसिद्धि, अल्कोहल प्लांट की भूमि पर औद्योगिक विकास, विश्व विद्यालय स्थापना के प्रयासों की जानकारी दी। श्री काश्यप ने इस आशय का घोषणा पत्र जारी करने का आह्वान भी किया कि रतलाम के पुराने कलेक्टोरेट परिसर को संग्रहालय बनाया जाए।

आरंभ में परिचर्चा का शुभारंभ मुख्य वक्ता विधायक माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप, अध्यक्षता वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेंट श्री एसएल चपलोत, वरिष्ठ शिक्षाविद् डॉ. मुरलीधर चांदनीवाला, वरिष्ठ पत्रकार श्री शरद जोशी, समिति संयोजक मुन्नालाल शर्मा, अध्यक्ष प्रवीण सोनी, व मंगल लोढा आदि ने माँ.सरस्वती के चित्र पर माल्यापर्ण कर दीप प्रज्ज्वलित कर किया। संयोजक मुन्नालाल शर्मा ने स्थापना महोत्सव समिति के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि छोटे से स्वरूप में इस महोत्सव की शुरुवात की थी जो आज वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। उन्होंने शहर और शहरवासियों की हित और विकास में नगर विधायक द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमे चेतन्य काश्यपजी जैसे जनप्रतिनिधि मिला है। जिन्होंने विधानसभा में भी रतलाम शहर का मान बढ़ाया है।

बंसत पंचमी पर हो शासकीय अवकाश

रतलाम स्थापना महोत्सव समिति के अध्यक्ष प्रवीण सोनी ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि रतलाम का स्थापना महोत्सव हर साल एक त्यौहार और उत्सव की तरह मनाया जाए। इस तरह के आयोजन हर घर,मौहल्ले, कालोनी और चौराहों पर हो। घर-घर दीप प्रज्ज्वलित किए जाए और रियासतकालीन धरोहर पर आकर्षक विध्युत सज्जा की जाए। इस मौके पर प्रवीण सोनी ने नगर विधायक से आह्वान किया है कि हर साल बंसती पर रतलाम स्थापना दिवस पर शासकीय अवकाश की घोषणा की जाए।

शहर प्रबुद्धजनों के कारण जाना जाए

परिचर्चा के दौरान वक्ता डॉ. मुरलीधर चांदनीवाला ने कहा कि रतलाम का अपना इतिहास और गौरव रहा है। यहां राष्ट्रीय कवि प्रदीप रहे हैं। यहां डॉ.प्रभाकर माचवे, प्राणगुप्त रहे हैं। यही सागौद रोड़ स्थित आश्रम पर समर्थ महाप्रभु नित्यानंदजी, केशव बापजी और गुप्तानंदजी ने तपस्या की है। आज के लोगों को रतलाम की पहचान सिर्फ सेव, सोना, साड़ी, दालबाटी और नमकीन के कारण बनाई जा रही है जबकि यहां कई महापुरुषों ने अपनी सेवाएं दी हैं और निवास भी किया है। उन्होंने कहा कि हम आज तक रतलाम की छवि को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। आज जरूरत है रतलाम के विकास में सहयोग किया जाए और इसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जाकर इसका वैभव व गौरव पुनः लौटाया जाए।

धरोहर को संजोए जाने की पहल हो

वरिष्ठ पत्रकार शरद जोशी ने इस अवसर पर रियासत कालीन धरोहर को सहेजने की पहल करते हुए कहा कि पुरानी एतिहासिक धरोहर को सहेजा जाए। उन्होंने गुलाब चक्कर, पोलोग्राउण्ड आदि क्षेत्रों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए और इनका स्वरूप लौटाया जाए। उन्होंने राजमहल के अधिगृहण की भी पहल की है।

गरीबों से शुल्क वसूली बंद हो

परिचर्चा के दौरान वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेंट एस.एल.चपलोत ने वक्ता के रूप में नगर विधायक के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि चेतन्य काश्यपजी की नेतृत्व में शहर प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है जो नागरिकों के लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि शहर में सड़क किनारे छुटकर व्यापार करने वाले गरीब फल,सब्जी आदि बैचने वालों से नगर निगम शुल्क वसूली करता है जो बंद की जाना चाहिए।

परिचर्चा के दौरान अतिथियों का स्वागत रतलाम स्थापना महोत्सव समिति के सदस्य प्रदीप उपाध्याय, मोहनलाल धबाई, भगतसिंह भदौरिया, प्रहलाद पटेल,राजेश माहेश्वरी, रजनीश गोयल, आदित्य डागा, रामजी डोई, अशोक यादव, सुनील माली, हितेश कामरेड, ललित दख, राकेश नाहर, महेन्द्र मूणत, अनिल कटारिया, विनोद राठोर, राजेश कटारिया, सुनील, राजू हाकी, लक्ष्मीनारायण गेहलोत, राकेश परमार आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन मंगल लोढा ने किया और आभार आदित्य डागा ने माना।

स्वच्छ सर्वेक्षण में नागरिक अपना फीडबैक सकारात्मक भाव से दे

रतलाम 17 फरवरी । नगर विधायक श्री चेतन्य काश्यप ने कहा है हमारा रतलाम शहर स्वच्छ और सुंदर होकर स्वच्छता की दौड़ में प्रदेश और देश में अक्ल रहे। नगर निगम इस दिशा में निरन्तर प्रयास कर रहा है। अब नागरिक भी इसमें अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाए। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत प्रत्येक नागरिक अपना फीडबैक सकारात्मक भावना के साथ दे।

श्री काश्यप बुधवार को रतलाम स्थापना महोत्सव समिति द्वारा आयोजित परिचर्चा के अवसर पर स्वच्छत सर्वेक्षण विषय पर उपस्थित गणमान्य नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सर्वेक्षण से जुड़े एक पेंपलेट का भी विमोचन किया। इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वच्छता को लेकर निगम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हैं उपस्थित जनो से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान समिति संयोजक श्री मुन्नालाल शर्मा, अध्यक्ष प्रवीण सोनी, मंगल लोढ़ाजी, वरिष्ठ पत्रकार शरद जोशी आदि उपस्थित रहे।

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आह्वान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डालें। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान बुधवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है।

निगम के 766 अधिकारी/कर्मचारियों ने लगवाये कोरोना का टीके आज भी लगाये जायेंगे चार स्थानों पर टीके

रतलाम 17 फरवरी । फ्रंट लाईन वर्करो को लगाये जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत निगम के विभिन्न विभागों के 451 अधिकारी एवं कर्मचारियों ने 17 फरवरी बुधवार को डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, जवाहर नगर कम्युनिटी हॉल व सुभाष नगर कम्युनिटी हॉल पर लगाये गये वेक्सीन सेंटर में कोरोना का टीका लगवाया। इससे पूर्व निगम के 315 अधिकारी एवं कर्मचारी कोरोना का टीका लगवा चुके हैं।

कर्मचारियों की सुविधा हेतु 18 फरवरी गुरुवार को भी डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, जवाहर नगर कम्युनिटी हॉल व सुभाष नगर कम्युनिटी हॉल पर कोरोना का टीका प्रातः 08:30 बजे से लगाये जाने की व्यवस्था की गई है। कर्मचारी अपने नजदीकी स्थल पर आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस आदि के साथ उपस्थित होकर कोरोना का टीका अनिवार्य रूप से लगवाये इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने शेष रहे कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे 18 फरवरी को निर्धारित स्थलों पर जाकर अपना कोरोना का टीका शत-प्रतिशत लगवायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

**कचरा पात्र नहीं रखने पर अब फुटकर विक्रेताओं पर भी होगा जुर्माना
चांदनी चौक क्षेत्र में 5 व्यक्तियों पर हुआ जुर्माना**

रतलाम 17 फरवरी । नगर को साफ-स्वच्छ रखने हेतु नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकों, दुकानदारों आदि से कचरा संग्रहण हेतु कचरा पात्र रखने की अपील के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं किन्तु नगर के सब्जी, फल-फ्रूट सहित अन्य सामग्री के फुटकर विक्रेताओं द्वारा कचरा पात्र नहीं रखकर खुले में गंदगी फैलाई जा रही है ऐसे फुटकर व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चांदनी चौक क्षेत्र के दुकानदार व फुटकर व्यापारियों द्वारा कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में कचरा फेंकने पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत प्रकाश धानमण्डी पर 1000, जगदीश मंत्री धानमण्डी पर 500, अब्बास भाई चांदनी चौक पर 250, राजेश माली, शोएब चांदनी चौक पर 50-50 रुपये का जुर्माना कर भविष्य में कचरा खुले में ना फेंकने व अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखने की समझाईश दी गई।

कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में गंदगी करने पर जमीन पर बैठकर व्यवसाय करने वालों पर 50 रुपये व ठेलागाड़ी पर व्यवसाय करने वालों पर 100 रुपये का स्पॉट फाईन किये जाने के साथ ही सामग्री भी जब्त की जावेगी।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री एम.के. जैन, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद हैं। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

दीनदयाल नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 28,06,144/- संपत्तिकर व 6,32,285/- जलकर जमा कराया

रतलाम 17 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22,000/- व जलकर 29,280/-, तिरुपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/- व जलकर 86,540/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/- व जलकर 3,76,905/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/- व जलकर 76,470/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/- व जलकर 47,595/-, कलीमी

कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/- व जलकर 22,680/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/- व जलकर 55,320/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/- व जलकर 59,500/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/- व जलकर 6,71,025/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/- व जलकर 19,000/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 73,000/- व जलकर 19,260/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 28,06,144/- संपत्तिकर व 6,32,285/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 18, 19 व 20 के लिये आज 18 फरवरी को दीनदयाल नगर, वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 19 व 22 फरवरी को बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 23 फरवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

664 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 17 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 17 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 664 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 17 फरवरी को सैलाना रोड, अलकापुरी, नयागांव से 3 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के

तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त 118 दिनों में 147 वॉल्व व 808 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 17 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 17 फरवरी तक 147 वॉल्व व 808 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रतलाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 17 फरवरी गुरुवार को लक्ष्मीनगर, अशोक नगर, सखवाल नगर, सुभाष नगर, वीआईपी नगर, ओसवाल नगर, वेदव्यास कालोनी, काजीपुरा मुख्य मार्ग, समता परिसर सिटी, आनन्द कालोनी हनुमान मंदिर के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये जाने के साथ ही फुलमण्डी, अशोक नगर, हाट की चौकी ऑटो स्टैण्ड के पास वॉल्व दुरस्त किया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री देवेन्द्र पवार आदि के निर्देशन में की गई।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 17 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाइन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 17 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 17 फरवरी | नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्ता, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाइट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/17.02.2021/न.पा.निगम, रतलाम.